



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-14.08.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में लड़ाई-झगड़ा करने के मामले से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को जेल में बितायी गयी अवधि व माननीय न्यायालय उठने तक की सजा व 1-1 हजार रुपये अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-236A/1997 धारा 323,325,504 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- राजेश पुत्र उदित नारायण, 2- भृगुनाथ पुत्र बरसाती व 3- रूपनारायण पुत्र रामाधार निवासीगण- कादीपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-13.08.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-06 वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 323,325,504 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व माननीय न्यायालय उठने तक की सजा एवं उपरोक्त प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 323 भा0द0वि0 में 300/-रू0, धारा 325 भा0द0वि0 में 500/-रू0 व धारा 504 भा0द0वि0 में 200/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।